प्रेषक,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ

शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक **13 जुलाई, 2023**

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-03/2023/1514, दिनांक-11.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) यू0जी0-2023 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती हैः-

<u>1. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना-</u>

- नीट यू0जी0-2023 के माध्यम से चयनित छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु National Informatics Center (NIC), योजना भवन लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।
- यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की काउंसिलिंग हेतु स्टेट मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से तैयार की जायेगी।
- यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की काउंसिलिंग हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के0जी0एम0यू0, लखनऊ, डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

<u>2. अर्हतायें (Eligibility)-</u>

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की कांउसिलिंग/प्रवेश हेतु अर्हतायें निम्नवत

हैं:-

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने NEET यू0 जी0-2023 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

(2) प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष, दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हैं, उनके लिए डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83 दिनांक-18.2.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी प्रारूप पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे।

3. शैक्षणिक अर्हताएं-

NEET यू0 जी0-2023 हेतु एन0टी0ए0 (National Testing Agency) द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी।

4. पंजीकरण-

- यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा एन0आई0सी0 की वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगीः-

  1- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु रू0 2,000/-(रूपये दो हजार मात्र)

  2- मॉप-अप राउण्ड हेतु रू0 1,000/-(रूपये एक हजार मात्र)

- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे भी रू0 2000/- (दो हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

5. धरोहर धनराशि (Security Money)-

- यू0 पी0 नीट यू0 जी0 2023 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) निम्नवत होगी:-

  क- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज हेतु-रू0 30000/-

  ख- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज हेतु-रू0 2.00 लाख

  ग- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज हेतु-रू0 1.00 लाख

- धरोहर धनराशि आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करायी जायेगी।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा, उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।
- समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नही होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, जिस खाते से भुगतान किया होगा, उसी खाते में नियमानुसार वापस की जायेगी।

6. अभिलेखों का सत्यापन-

यू0 पी0 NEET यू0 जी0-2023 के अन्तर्गत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जायेंगे:-

(1) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।

(2) आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & EX. Army, NCC, FF, PwD)।

(3) डोमिसाइल सर्टिफिकेट।

- पंजीकरण के समय ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन निम्नलिखित नोडल सेन्टर पर कराये जायेंगे, यू0 पी0 NEET यू0 जी0-2023 में पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगाः-

क्र0 सं0	नोडल सेण्टर का नाम
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
3	जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
4	एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।

5	एल 0 एल 0 आर 0 एम 0 मेडिकल कालेज, मेरठ।
6	एम 0 एल 0 बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी।
7	बी0 आर 0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
8	एम 0 एल 0 एन 0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
9	उ 0 प्र 0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ।
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर।
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा।
16	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

7. आरक्षण-

(क) उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण:-

- विशेष समन्वित योजना (एस 0 सी0 पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों को छोड़कर अन्य समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उर्द्धवाधर आरक्षण निम्नवत देय होगाः-

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	ई 0 डब्ल्यू0 एस 0*	10 प्रतिशत

*आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या-1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 दिनांक-31.08.2020, जिसके माध्यम से उ 0 प्र 0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 प्रकाशित किया गया है, के अनुसार अनुमन्य होगा। परन्तु ई 0 डब्ल्यू0 एस 0 का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा, जिनमें एम 0 सी0 आई 0/एन 0 एम 0 सी0 द्वारा ई 0 डब्ल्यू0 एस 0 के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार देय होगा।
- प्रदेश में स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज, **अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर** में ''वर्टिकल'' आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया है:-

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
योग		**85**	**15**	**100**

(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण:-

- उपरोक्त वर्टिकल आरक्षण में निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियो के लिए	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेड सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0 सी0 सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनांक-24.03.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को अपनी उर्द्धवाधर (Vertical) श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक **01 अप्रैल, 2023**

के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होग। स्टेट कोटे की सीटों पर कांउसिलिंग हेतु केन्द्रीय संस्थाओं के लिए जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नही होगें।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी, भारत सरकार के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाये, नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिस संख्या-U-11011/01/2023-MEC दिनांक-05.07.2023 मे दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।
- निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटो पर किसी भी प्रकार का आरक्षण देय नहीं है।
- अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटें सम्बन्धित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों से आवंटित की जायेगी तथा 50 प्रतिशत सीटें ओपेन श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवंटित की जायेगी।
- नीट यू0 जी0 2023 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपनी श्रेणी अनारक्षित अंकित की गयी हो, तो यू0 पी0 नीट यू0 जी0 2023 के काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय ऐसे अभ्यर्थियो द्वारा अपना पंजीकरण आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कराने पर संबंधित आरक्षित श्रेणी का लाभ नियमानुसार देय होगा।

8. <u>कांउसिलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया</u>-

- भारत सरकार द्वारा काउंसिलिंग हेतु निर्गत समय सारणी में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम मे महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा स्टेट कोटे की काउन्सिलिंग हेतु समय-सारिणी पृथक से जारी की जायेगी।

<u>प्रथम चक्र की काउन्सिलिंगः</u>-

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग मे प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही अर्ह होगे।

<u>द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग</u>-

- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो एवं प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियो को द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में प्रतिभाग करन हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी

द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।

- पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। यदि अभ्यर्थी को प्रथम चक्र की प्रवेशित सीट ही पुनरावंटन के दौरान पुनः आवंटित हो जाती है, तो उक्त अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

9. प्रवेश प्रक्रिया-

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय मे आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज मे सम्पन्न करनी होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प-संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-अस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.05.2017 के क्रम मे, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेन्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेजो मे प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर की सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।
- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगाः-

1. नीट यू0 जी0-2023 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
3. उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।
5. पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन मे अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

10. मॉपअप राउण्ड-

- माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0-2023 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 की वेबसाईट

https://upneet.gov.in पर रू0 1000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- यू0 पी0 नीट यू0 जी0-2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल-इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- मॉप-अप राउण्ड से आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- स्टेट कोटे की आरक्षित श्रेणी की सीटो का आमेलन मॉप-अप राउण्ड के दौरान किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियो को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटो को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगीः-

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD, Ex, FF, NCC)	ST
2	SC (PwD, Ex, FF, NCC)	SC
3	UR (PwD, Ex, FF, NCC)	UR
4	OBC (PwD, Ex, FF, NCC)	OBC
5	EWS (PwD, Ex, FF, NCC)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

- रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.05.2017 के क्रम मे, यू0 पी0 नीट यू0 जी0-2023 के मॉप-अप राउण्ड के पश्चात् निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में सीटे रिक्त रहने पर, रिक्त सीटों का 10 गुना (1:10), ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग तथा मॉपअप राउण्ड से कोई भी मेडिकल/डेण्टल की सीट आवंटित न हुई हो और वह यू0 पी0 नीट यू0 जी0-2023 में पंजीकृत हुए हो, की मेरिट सूची निजी क्षेत्र के कालेजो को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-

- त्याग-पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कालेज/नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की गयी थी, उसी कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग-पत्र देना होगा।
- मेडिकल/डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग-पत्र एन 0 आई 0 सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किये गये त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नही होगा।

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी राजकीय/ निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व **(उदाहरणानार्थ यदि द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 24 जुलाई 2023 से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 21 जुलाई 2023 को सायं 04.00 बजे तक**) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित प्राविधान लागू होंगे।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय चक्र से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉप-अप चक्र से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु मॉप-अप चक्र के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क तथा रू0 1,00,000/-(रूपये एक लाख मात्र) अर्थदण्ड के रूप में देय होगा। साथ ही अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। अर्थदण्ड एवं धरोहर धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु मॉपअप राउण्ड के पश्चात अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपने सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क सम्बन्धित मेडिकल/ डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय को देय होगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। धरोहर धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय होगा।

12. बॉण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में-

शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2007 दिनांक-07.03.2018, शासनादेश संख्या-आई/129212/2022 दिनांक-05.01.2022 शासनादेश संख्या-आई/204130/2022/71-4099/1247/2019-4 दिनांक-23.08.2022 तथा शासनादेश संख्या-आई/224549/2022 दिनांक-13.10.2022 में प्रदान निर्देशो के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजो/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0 बी0 बी0 एस0/बी0 डी0 एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा। बाण्ड की धनराशि रू0 10 लाख होगी। सेवा के स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ''यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0 जी0 जे0 आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।''

13. कांउसिलिंग बोर्ड का गठन-

यू0 पी0 नीट यू0 जी0 2023 की कांउसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने हेतु बोर्ड का गठन निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	कांउसिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण	कांउसिलिंग बोर्ड में अधिकारियों की प्रास्थिति	प्रस्तावित नाम
1	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 **(पदेन)**	अध्यक्ष	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 **(पदेन)**
2	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	श्री राम यज्ञ मिश्र, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3	शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर	सदस्य	अनुसूचित जाति डा0 ऋषिपाल, आचार्य, फार्माकोलॉजी, के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ अन्य पिछड़ा वर्ग डा0 दिलीप कुमार वर्मा, प्रोफेसर,

			फिजियोलॉजी विभाग, के0 जी0 एम 0 यू0, लखनऊ **<u>अनारक्षित श्रेणी</u>** डा0 संदीप भट्टाचार्य, आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग, के0 जी0 एम 0 यू0 लखनऊ **<u>अल्पसंख्यक श्रेणी</u>** डा0 परवेज खान, आचार्य, आप्थल्मोलॉजी विभाग, जी0 एस 0 वी0 एम 0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
4	मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य	डा0 बी0 डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
5	निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सह सदस्य	एसोसिएशन आफ प्राईवेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कालेजेज आफ यू0 पी0 द्वारा नामित एक प्रतिनिधि
6	अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा नामित प्रतिनिधि	सह सदस्य	तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि(डेन्टल) एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा नामित एक प्रतिनिधि (मेडिकल)
	एन 0 आई 0 सी0 से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी	सह सदस्य	निदेशक, एन 0 आई 0 सी0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि
	परामर्शदाता		एस 0 पी0 सिंह, प्रशासकीय परामर्शी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
	अतिरिक्त परामर्शदाता		डा0 अनूप वर्मा, प्रोफेसर, फोरेन्सिक

			मेडिसिन विभाग, के0 जी0 एम 0 यू0, लखनऊ।

14. काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-

नीट यू0 जी0-2023 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के प्रति मेडिकल कालेज से रू0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के प्रति डेण्टल कालेजों से रू0 1,00,000/- जमा कराया जायेगा।

15. काउंसलिंग कार्य हेतु चिकित्सा षिक्षा अनुभाग-3, ऊ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77/71-3-1998 दिनांक-31.01.1998 मे निहित निर्देशानुसार महानिदेशालय स्तर, नोडल सेंटर के स्तर से यथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज, विधिक कार्य, वाहन, जलपान व अन्य प्रषासनिक मदों मे होने वाले व्ययो की प्रतिपूर्ति सी0 पी0 एम 0 टी0 फण्ड से किया जायेगा।

16. काउन्सिलिंग से संबंधित अधिकरियो/कर्मचारियों (शासन/महानिदेशालय/एन 0 आई 0 सी0) को मानदेय दिये जाने के संबंध मे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2974/71-2-12-69/2006 टी0 सी0 दिनांक-29.9.2012 में निहित निर्देशानुसार परिधिगत कार्मिकों सहित चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उ 0 प्र 0 शासन के सम्बन्धित कार्मिकों को भी मानदेय देने की कार्यवाही की जायेगी।

17. समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

18. किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित माननीय न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 13-07-2023 17:27:59
Reason: Approved

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि श्री राम यज्ञ मिश्र, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन)।
2. सचिव, एन0एम0सी0/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
6. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
8. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
13. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव।